संख्या- 3733-/नौ-8-2018-06केपीए(बजट)/2018

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

विषयः- नगर निगम-लखनऊ द्वारा संचालित कान्हागौशालाओं/पशु शेल्टर होम्स में रखे गये आवारा पशुओं के भूसे चारे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में "**कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

प्रदेश की नागर निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 05/2017/4651/नौ-8-2017-21ज/2016, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" प्रारम्भ किये जाने के आदेश जारी किये गये है, जिसके क्रम में नगर नगम-लखनऊ में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी है। नगर निगम-लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम- लखनऊ द्वारा संचालित कान्हा गौशालाओं/पशु शेल्टर होम्स एवं कान्हा उपवन में रखे गये पशुओं के भूसे चारे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु धनराशि रूपये 12,46,16,500/: की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में "**कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना**" के अन्तर्गत भूसे चारे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि से नगर निगम-लखनऊ द्वारा संचालित रांचालित कान्हा गौशालाओं/पशु शेल्टर होम्स एवं कान्हा उपवन में रखे गये पशुओं के भूसे चारे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु रू0 500.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि रू0 250.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नगर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या- 3733 (1)/नौ-8-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
3. सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम-लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया योजनान्तर्गत धनराशि निकाय के खाते में निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश द्वारा हस्तान्तरित किये जाने के लिए अपने राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते का पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ तीन दिन के अन्दर निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।